क्रम-संख्या–204

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1900 / 79-वि-1–18-1(क)-12-18
लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है, की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिकों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के

अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अन्तरित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 27 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(एक) ''नियत दिनांक'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से है;

(दो) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(तीन) ''निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है;

(चार) ''सरकारी अधिसूचना'' का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 141/77–4–2001–267 भा–97 टी0सी0–1, दिनांक 05 सितम्बर, 2001 से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है;

(पांच) ''अनुसूची'' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना की अनुसूची से है।

निगम की आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण

3–(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक सेः–

(क) समस्त सम्पत्तियॉ और समस्त हित, अधिकार तथा सकल व्यापार, जंगम और स्थावर सम्पत्तियों सहित सम्पत्तियां सभी प्रकार के विनिधान पट्टा, पट्टा करार, किराया क्रय संविदाएं, समस्त लाभ, प्रतिभूति व्यवस्था, शक्तियॉ, आवंटन, प्रत्यावर्तन, अन्तरण, अन्तरण दस्तावेज, अनुदान, सहमति, प्रसंविदा, रजिस्ट्रीकरण, संविदाएं, लाइसेंस अधिकार, स्वामित्व, किसी प्रकार का लाभ, जिसे निगम, जहॉ भी स्थित हो, के पक्ष में अवमुक्त किया गया हो और निगम के स्वामित्व, कर, अधिकार, नियंत्रण और अन्य रूप में उसमें निहित हों, निगम द्वारा उपयोग किये गये अधिभार, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, किन्तु उपर्युक्त वाणिज्यिक नामों तक सीमित न हों, किसी प्रकार की अकादमिक सम्पत्ति, मंजूरी, अनुषक्ति, विद्युत और अन्य सामान्य उपयोग, टेलीफोन, फैक्स, कार तथा मोटरयान, इण्टरनेट स्कीम का अधिकार और समझौते पर उपयोग करने का अधिकार, सभी प्रकार की प्रसंविदा का लाभ और अन्य हित, जिन्हें सामूहिक रूप से निगम की सम्पत्ति कहा जाता है, पूर्ण स्वामित्वों, बंधकों, गिरवी, आडमान आदि के वर्तमान प्रास्थिति के अधीन प्राधिकरण में अन्तरित और निहित समझे जायेंगे;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र से संबंधित दायित्वों तथा बाध्यताओं सहित निगम के समस्त ऋण, दायित्व जो सम्मिलित रूप से निगम के दायित्व कहे गये हैं, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, सम्पत्तियॉ, निधियॉ और आधिक्य किसी अन्य दस्तावेज के बिना प्राधिकरण

को अन्तरित किये गये और उसमें निहित किये गये समझे जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे प्राधिकरण के ऋण, दायित्व, कर्तव्य, बाध्यताएं, सम्पत्तियॉ और आधिक्य हो जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो, निगम को संबंधित ऋणी व्यक्तियों से ऐसे दायित्वों के अन्तरण की सहमति प्राप्त करनी होगी और ऐसी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के पश्चात् प्राधिकरण को अवसंरचना विकास और औद्योगिक प्रोन्नयन की योजनाओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं, जिन्हें निगम संचालित कर रहा हो, के कार्यों तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित अन्य विकास संबंधी कार्यों का दायित्व भी ग्रहण करना होगा और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन उसमें निहित कृत्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों को ग्रहण करना होगा।

(2) निगम की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के परिणामस्वरूप निगम सेल कम्पनी बनी रहेगी, जिसके दायित्व सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अंशपूॅजी और निगम द्वारा अर्जित लाभ, संचित निधि के रूप में हो जायेंगे और इसका संदाय प्राधिकरण को निगम के परिसमाप्त होने तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जायेगा। यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को ''आरम्भ पूॅजी'' या ''चल निधि'' के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी और संचित निधि की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को आरक्षित पूॅजी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अन्तरण केवल शासनादेश द्वारा किया जायेगा;

(3) निगम द्वारा राज्य सरकार को किये जाने वाले समस्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा किये जाते रहेंगे और सरकारी ऋणों/ प्रत्याभूतियों पर संदेय समस्त ब्याज/मूल धनराशि का समय से भुगतान प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(4) अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों के संबंध में निगम द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या दाखिल किये गये समस्त वाद, कार्यवाहियॉ या रिट, प्राधिकरण के पक्ष में लम्बित या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध दाखिल किये गये समझे जायेंगे;

(5) निगम की सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के कारण उसके प्रतिफल का अवधारण, चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा नियत दिनांक को निगम की लेखा बही में उल्लिखित मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

कर्मचारियों का अन्तरण

4–(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक से, निगम के समस्त कर्मचारी, सेवा अवधि में किसी व्यवधान के बिना प्राधिकरण के कर्मचारी हो जायेंगे और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें, निगम में नियत दिनांक को लागू सेवा शर्तों की अपेक्षा किसी भी स्थिति में कम अनुकूल नहीं होंगी। निगम के कर्मचारियों के पदों और नाम पद्धति का अवधारण प्राधिकरण द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

(2) निगम के कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए सृजित भविष्य निधि, उपदान और अवकाश नगदीकरण के संबंध में एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाता है कि समस्त उद्देश्यों और कार्यों के लिए प्राधिकरण, निगम को नियत दिनांक से प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे कि न्यास विलेखों के उपबन्धों के अधीन ऐसी योजनाओं और निधियों का संचालन और प्रबन्धन का निस्तारण समुचित रूप से किया जाय। अन्ततः इसका यह अर्थ है कि इन निधियों से संबंधित समस्त अधिकार, कर्तव्य, शक्तियॉ और दायित्व आदि प्राधिकरण में निहित हो जाएंगे। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम के समस्त कर्मचारियों की सेवाएं, उपर्युक्त निधियों, योजनाओं आदि के नियमों के अधीन अविरत जारी समझी जाएंगी।

स्टाम्प शुल्क से छूट

5—उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किये जाने के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

7—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

एकीकृत विकास योजना बनाने और भूमि विकास, जनसंख्या, भवन निर्माण के मानकों को नियत करने सम्बन्धी नियमावली को प्रवर्तित करने और राज्य के औद्योगिक अयस्कों के विकास और उन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है, की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिकों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंतरित करने हेतु उपबंध करने के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।